समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. पी.बी.आर. /निगरानी/15

राजमल आ0 श्री देवी प्रसाद शर्मा
निवासी इकलेहरा तहसील पचौर
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0 ....आवेदकगण

विरूद्ध

प्रेमनारायण (मृतक) द्वारा उत्तराधिकारीगण
1. श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेमनारायण
2. प्रमोद आ0 स्व0 श्री प्रेमनारायण
3. सतीश आ0 स्व0 श्री प्रेमनारायण
   निवासीगण सुदर्शन नगर अकोदिया नाका के पास
   सारंगपुर जिला राजगढ म0प्र0
4. प्रतिभा देवी पुत्री स्व0 श्री प्रेमनारायण पत्नी श्री डालचन्द
   निवासी ग्राम मुण्डला तहसील सारंगपुर जिला राजगढ म0प्र0
5. गायत्री देवी पुत्री स्व0 श्री प्रेमनारायण पत्नी श्री रीतेश शर्मा
   निवासी नानाखेडा बस स्टैण्ड के पास उज्जैन जिला उज्जैन म0प्र0
6. मधु देवी पुत्री स्व0 श्री प्रेमनारायण पत्नी श्री अनिल शर्मा
   निवासी ब्राहम्मण मोहल्ला तलेन तहसील पचौर
   जिला राजगढ म0प्र0 .....अनावेदकगण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अपर आयुक्त भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 37/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 07/07/15 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण क0 31/अ–70/12–13 में कि गयी विवादित कार्यवाही के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी थी । जो कि सुनवाई हेतु दिनांक 09/02/15 को नियत थी । दिनांक 09/02/15 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को प्रकरण में आगामी दिनांक 07/07/2015 नोट करायी गयी । आवेदक अभिभाषक राजगढ जिले से प्रकरण में पक्ष समर्थन हेतु भोपाल आते है । इसलिये आवेदक अभिभाषक दिनांक 07/07/2015 कि पेशी नोट कर के चले गये । आवेदक अभिभाषक के जाने के उपरान्त अनावेदकगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में पक्ष समर्थन हेतु अपना अभिभाषक नियुक्त किया गया । अनावेदकगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए उनके अभिभाषक द्वारा जानकारी दी गयी कि प्रत्यर्थी श्री प्रेमनारायण का स्वर्गवास हो गया है । अनावेदकगण के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3457–तीन/2015 जिला राजगढ़

राजमल विरूद्ध प्रेमनारायण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–1–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7–7–15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक की मृत्यु दिनांक 26–1–14 को होने के पश्चात वारिसान आवेदन आवेदक की ओर से दिनांक 7–7–15 को प्रस्तुत किया गया था जिसपर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपर आयुक्त ने आवेदन पत्र समयावधि बाह्य माना और प्रकरण अबैट होने से समाप्त करने के आदेश दिये है। आवेदक ने अनावेदक के मृत होने की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क उचित प्रतीत होता है कि अनावेदक के वारिस भी अनावेदक के मृत होने की बात न्यायालय की जानकारी में ला सकते थे। आवेदक द्वारा जानकारी के पश्चात प्रस्तुत वारिसान आवेदन को न्यायहित में समय–सीमा में मान्य अपील प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करना चाहिए था, परन्तु अपर आयुक्त ने ऐसा नहीं करने में त्रुटि की है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 9–2–15 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत प्रेमनारायण के वारिसान	

संबंधी आवेदन को स्वीकार कर मृतक के वारिसों को रिकार्ड पर लेने के उपरांत उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये गुण–दोषों पर निर्णय पारित करें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य